संख्या: 10 /2026/104ई-2/तेरह-2026-02/2026-2018001

प्रेषक,

अभिषेक आनंद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 12 फरवरी, 2026

विषयः-वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक के लिये आबकारी निर्यात नीति निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-04/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति (संशो.)/2026-27, दिनांक 30-01-2026, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक हेतु आबकारी निर्यात नीति निर्धारण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। तदनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के व्यापक राजस्वहित में वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक हेतु आबकारी निर्यात नीति का निर्धारण निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा (यू.पी.एम.एल.) के निर्यात हेतु बोतल भराई

1.1 अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा, ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा (यू.पी.एम.एल.) के देश के अंदर एवं देश के बाहर निर्यात हेतु बोतल भराई का कार्य सी.एल.बी.-1 अथवा सी.एल.बी.-2 लाइसेंस के अंतर्गत अनुमन्य होगा।

1.2 सी.एल.बी.-1 अथवा सी.एल.बी.-2 अथवा दोनों लाइसेंसों के अंतर्गत निर्यात हेतु बोतल में भरी जाने वाली अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा अथवा ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा(यू.पी.एम.एल.) पर पैत्रिक आसवनी की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक के समतुल्य भरी गयी बोतलों पर निवेश प्रोत्साहन एवं निर्यात की दृष्टि से बोतल भराई शुल्क नहीं लिया जायेगा। निर्धारित सीमा से अतिरिक्त भरी गयी देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. पर निम्नांकित दर से बोतल भराई शुल्क अधिरोपित होगा।

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल.
1	सी.एल.बी.-1	04 पैसा प्रति 200 एम.एल.
2	सी.एल.बी.-2	10 पैसा प्रति 200 एम.एल.

अन्य धारिताओं हेतु बोतल भराई शुल्क धारिता के समानुपात में निर्धारित होगा।

निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा में सी.एल.बी.-1 और सी.एल.बी.-2 इकाई के साथ एफ.एल.-3 और एफ.एल.-3ए इकाई में निर्यात हेतु की गयी भराई भी सम्मिलित होगी।

2. भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन एवं एल.ए.बी. के निर्यात हेतु बोतल भराई

2.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन एवं एल.ए.बी. के देश के अंदर एवं देश के बाहर निर्यात हेतु बोतल भराई का कार्य एफ.एल.-3 और एफ.एल.-3ए लाइसेंस के अंतर्गत अनुमन्य होगा।

2.2 एफ.एल.-3 अथवा एफ.एल.-3ए लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन एवं एल.ए.बी. पर निवेश प्रोत्साहन एवं निर्यात की दृष्टि से बोतल भराई शुल्क को, तर्क संगत करने हेतु, निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	भरी जाने वाली बोतल की धारिता	मदिरा का प्रकार	2026-27 हेतु एफ.एल.-3 और एफ.एल.-3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी.डी.-2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक) (₹)	2026-27 में एफ.एल.-3 हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी.डी.-2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)	2026-27 में एफ.एल.-3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी.डी.-2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)
1	2000 एम.एल.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.79	3.14	4.11
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.32	3.14	4.11
2	1000 एम.एल.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.40	1.57	2.05
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.16	1.57	2.05
3	700 व 750 एम.एल.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.31	1.21	1.63

		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.13	1.21	1.63
4	500 एम.एल.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.22	0.85	1.21
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.09	0.85	1.21
5	375 एम.एल.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.18	0.72	0.97
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.08	0.72	0.97
6	180 एम.एल.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन	0.12	0.48	0.60
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.05	0.48	0.60
7	100 एम.एल.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.08	0.30	0.36
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.03	0.30	0.36
8	90 एम.एल.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.08	0.30	0.36
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.03	0.30	0.36
9	60 एम.एल.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.05	0.18	0.24
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.02	0.18	0.24
10	1000 एम.एल.	एल.ए.बी. (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.05	0.18	0.30

		एल.ए.बी. (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.02	0.18	0.30
11	650 एम.एल.	एल.ए.बी. (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.03	0.10	0.18
		एल.ए.बी. (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.10	0.18
12	500 एम.एल.	एल.ए.बी. (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.02	0.08	0.12
		एल.ए.बी. (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.08	0.12
13	325 व 330 एम.एल.	एल.ए.बी. (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.02	0.06	0.08
		एल.ए.बी. (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.06	0.08
14	275 एम.एल.	एल.ए.बी. (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.02	0.05	0.06
		एल.ए.बी. (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.05	0.06
15	275 एम.एल. से कम	एल.ए.बी. (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.01	0.04	0.05
		एल.ए.बी. (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.04	0.05

नोट:- 1.उपरोक्त बोतल भराई शुल्क की दरों का पुनरीक्षण यथावश्यकता वर्षानुवर्ष राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

2. अन्य धारिताओं हेतु अगली धारिता की बाटलिंग फीस ली जायेगी।

2.3 एफ.एल.3 और एफ.एल.-3ए इकाइयों द्वारा पैत्रिक पी.डी.-2 अथवा द्राक्षासवनी इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक निर्यात हेतु भरी गयी बोतलों पर ही उपर्युक्त दर से बोतल भराई शुल्क अनुमन्य होगा। उपर्युक्तानुसार नियत सीमा से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक निर्यात हेतु की गयी भराई पर पूर्व प्रचलित दरों से ही बोतल भराई शुल्क लिया जायेगा। विदेशी मदिरा निर्माण से संबंधित आसवनी में अधिष्ठापित क्षमता का संपूर्ण उपभोग हो जाने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में निर्यात हेतु मदिरा निर्माण की अनुमति इस नीति के प्रख्यापन की तिथि से इस प्रतिबंध के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी कि बल्क स्प्रिट क्रय करके अधिष्ठापित क्षमता से अधिक निर्यात हेतु विदेशी मदिरा की बोतल में भराई हेतु क्रय/प्रयुक्त किये गये ई.एन.ए./अन्य कोई स्प्रिट पर बॉटलिंग हेतु निर्धारित फीस की दोगुनी दर से बॉटलिंग फीस देय होगी। आसवनी को इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से 40 प्रतिशत अधिक की सीमा तक ही स्प्रिट क्रय/प्रयुक्त किये जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा आसवनी को अपनी क्षमता विस्तार/नवीन इकाई की स्थापना आदि का अवसर प्रदान

करने के उद्देश्य से दी जा रही है और यह सुविधा सामान्यत: वित्तीय वर्ष में एक बार ही प्रदान की जायेगी।

निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक की सीमा में एफ.एल.-3 और एफ.एल.-3ए इकाई के साथ सी.एल.बी.-1 और सी.एल.बी.-2 इकाई में निर्यात हेतु की गयी भराई भी सम्मिलित होगी।

3. भारत निर्मित बीयर के निर्यात हेतु बोतल भराई

3.1 भारत निर्मित बीयर के देश के अंदर एवं देश के बाहर निर्यात हेतु बोतल भराई का कार्य एफ.एल.-3 और एफ.एल.-3ए लाइसेंस के अंतर्गत अनुमन्य होगा।

3.2 एफ.एल.-3 अथवा एफ.एल.-3ए लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात हेतु भारत निर्मित बीयर पर, निवेश प्रोत्साहन एवं निर्यात की दृष्टि से बोतल भराई शुल्क को, तर्क संगत करने हेतु, निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	भरी जाने वाली बोतल की धारिता	मदिरा का प्रकार	2026-27 हेतु एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक बी-1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक) (₹)	2026-27 में एफ.एल.-3 हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक बी-1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)	2026-27 में एफ.एल.-3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक बी-1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)
1	ड्राट बीयर 50 लीटर केग	भारत निर्मित बीयर (देश के अंदर निर्यात हेतु)	7.55	30.19	36.23
		भारत निर्मित बीयर (देश के बाहर निर्यात हेतु)	3.1	30.19	36.23
2	650 एम.एल.	भारत निर्मित बीयर (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.17	0.66	0.78

		भारत निर्मित बीयर (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.07	0.66	0.78
3	500 एम.एल.	भारत निर्मित बीयर (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.14	0.54	0.60
		भारत निर्मित बीयर (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.06	0.54	0.60
4	350 एम.एल. या उससे कम	भारत निर्मित बीयर (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.09	0.36	0.48
		भारत निर्मित बीयर (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.04	0.36	0.48

नोट:- 1.उपरोक्त बोतल भराई शुल्क की दरों का पुनरीक्षण यथावश्यकता वर्षानुवर्ष राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

2. अन्य धारिताओं हेतु अगली धारिता की बाटलिंग फीस ली जायेगी।

3. 650 एम.एल. से अधिक धारिता की बोतल/केग हेतु बोतल भराई शुल्क, 650 एम.एल. हेतु निर्धारित बोतल भराई शुल्क के समानुपाती होगा।

3.3 एफ.एल.3 और एफ.एल.-3ए इकाइयों द्वारा पैत्रिक बी-1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक निर्यात हेतु भरी गयी बोतलों पर ही उपर्युक्त दर से बीयर पर बोतल भराई शुल्क अनुमन्य होगा।

4. ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस का आरोपण

सी.एल.बी.-1/सी.एल.बी.-2, एफ.एल.-3/एफ.एल.-3ए में निर्यात हेतु भरी गयी प्रत्येक बोतल (समस्त धारिताओं को सम्मिलित करते हुये) के सापेक्ष ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस पूर्व की भाँति ₹0.35/-प्रति बोतल की दर से आरोपित की जायेगी।

5. स्पेशल फीस का आरोपण

निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक की उपरोक्त निर्धारित सीमा के अंतर्गत निर्यात हेतु बोतल में भरी गयी विदेशी मदिरा/वाइन/एल.ए.बी./बीयर पर स्पेशल फीस लिये जाने का प्राविधान समाप्त किया जाता है। निर्धारित सीमा से अधिक की गयी बोतल भराई पर पूर्व प्रचलित दर से ही स्पेशल फीस ली जायेगी।

6. फ्रैंचाइजी फीस का आरोपण

निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक की उपरोक्त निर्धारित सीमा के अंतर्गत निर्यात हेतु बोतल में भरी गयी विदेशी मदिरा/वाइन/एल.ए.बी./बीयर पर फ्रैंचाइजी फीस लिये जाने का प्राविधान समाप्त किया जाता है। निर्धारित सीमा से अधिक की गयी निर्यात हेतु बोतल में भरी गयी विदेशी मदिरा/वाइन/एल.ए.बी./बीयर पर एफ.एल.-3ए से फ्रैंचाइजी फीस निम्नांकित तालिका के अनुसार ली जायेगी:-

क्र. सं.	बोतलों/कैनों में भरी जाने वाली मदिरा का प्रकार	आपूर्ति का प्रकार	निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक की गयी बोतल भराई पर वर्ष 2026-27 में एफ.एल.-3ए हेतु फ्रैंचाइसी फीस की दर
1	बीयर	प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु	₹0.13 प्रति ब.ली.
2	बीयर	देश के बाहर निर्यात हेतु	शून्य
3	विदेशी मदिरा/वाइन/एल.ए.बी.	प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु	₹.50 प्रति ब.ली.
4	विदेशी मदिरा/वाइन/एल.ए.बी.	देश के बाहर निर्यात हेतु	शून्य

7. बोतलीकृत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा (यू.पी.एम.एल.), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन एल.ए.बी. एवं बीयर पर निर्यात फीस का आरोपण।

(क) निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित बोतलीकृत देशी मदिरा और ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा(यू.पी.एम.एल.) का देश के अंदर निर्यात किये जाने के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹0.20/- प्रति अल्कोहल लीटर की दर से किया जायेगा। परन्तु अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित बोतलीकृत देशी मदिरा और ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा(यू.पी.एम.एल.) का उक्त सीमा से अधिक देश के अंदर निर्यात किये जाने के मामलों में पूर्व की भाँति ₹10/- प्रति ए.एल. की दर से आरोपित होगी ।

(ख) निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत बोतलीकृत भारत निर्मित विदेशी मदिरा(भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम सहित), वाइन एवं एल.ए.बी. का देश के अंदर निर्यात किये जाने के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹1.0/- प्रति

बल्क लीटर की दर से किया जायेगा। परन्तु उक्त सीमा से अधिक किये गये निर्यात पर पूर्व की भॉति एफ.एल.-3 हेतु ₹2.75/- प्रति बल्क लीटर तथा एफ.एल.-3ए हेतु ₹3.00/- प्रति बल्क लीटर की दर से आरापित होगी।

(ग) निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक बोतलीकृत भारत निर्मित बीयर का देश के अंदर निर्यात किये जाने के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹ 0.50/-प्रति बल्क लीटर की दर से किया जायेगा। परन्तु उक्त सीमा से अधिक किये गये निर्यात पर एफ.एल.-3 हेतु पूर्व की भॉति ₹1.75/- प्रति बल्क लीटर तथा एफ.एल.-3ए हेतु ₹2.00/- प्रति बल्क लीटर की दर से आरापित होगी।

(घ) बोतलीकृत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा (यू.पी.एम.एल.), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, एल.ए.बी., बीयर एवं वाइन का देश के बाहर निर्यात किये जाने वाले मामलों में निर्यात फीस का आरोपण नहीं किया जायेगा। परन्तु यथावश्यकता निर्यात फीस आरोपित करने का सर्वाधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

8. प्रदेश में देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल./विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर की आपूर्ति में कठिनाई होने पर अनारक्षित शीरा आधारित ई.एन.ए./ ग्रेन ई.एन.ए./बीयर/वाइन के निर्यात को प्रतिबंधित करने का अधिकार आबकारी आयुक्त मे निहित होगा।

9. ग्रेन ई.एन.ए., विशेष स्प्रिट यथा एच.बी.एस., आई.एम.एफ.एल. कंसंट्रेट आदि के बल्क निर्यात पर निर्यात फीस का आरोपण

(क) देश के अंदर विशेष स्प्रिट यथा एच.बी.एस., आई.एम.एफ.एल. कंसंट्रेट, रेक्टीफाइड स्प्रिट आदि के बल्क निर्यात के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹2.0 प्रति बल्क लीटर की दर से किया जायेगा। देश के अंदर ग्रेन ई.एन.ए. के बल्क निर्यात के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹1.0 प्रति बल्क लीटर के दर से किया जायेगा। अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. के देश के अंदर निर्यात के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹0.50 प्रति बल्क लीटर की दर से किया जायेगा।

(ख) देश के बाहर ई.एन.ए., विशेष स्प्रिट यथा एच.बी.एस., आई.एम.एफ.एल. कंसंट्रेट आदि के बल्क निर्यात के मामलों में निर्यात फीस नहीं ली जायेगी।

10. निर्यात हेतु बोतल में देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल./विदेशी मदिरा/वाइन/एल.ए.बी. की भराई के संबंध में पूर्व प्रस्तरों में प्रदत समस्त छूट मात्र ऐसी आसवनियों/द्राक्षासवनियों को ही अनुमन्य होगी जिनपर अथवा जिनके स्वामी अथवा स्वामी कम्पनी/फर्म आदि की किसी अन्य इकाई/चीनी मिल पर कोई गन्ना मूल्य भुगतान के बकाये के संबंध में अथवा आबकारी विभाग के बकाये के संबंध में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत एवं प्रभावी न हो।

11. ब्राण्ड पंजीकरण, लेबिल अनुमोदन एवं ई.डी.पी.

(क) अन्य देशों एवं अन्य प्रदेशों को निर्यात की जाने वाली बोतलीकृत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा (यू.पी.एम.एल.), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन, एल.ए.बी., एवं बीयर की ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन फीस को निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से तर्कसंगत करते हुये निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा				
क्र.सं.	मदिरा का प्रकार	ब्राण्ड पंजीकरण शुल्क	लेबिल अनुमोदन शुल्क वर्ष 2026-27	लेबिल अनुमोदन शुल्क वर्ष 2025-26
1.	अनारक्षित शीरा आधारित देशी मदिरा	ब्राण्ड पंजीकरण नि:शुल्क होगा।	1,100	लागू नहीं
2.	यू.पी.एम.एल.		1,100	लागू नहीं
3.	विदेशी मदिरा		35,000	6,00,000
4.	बीयर		25,000	6,00,000
5.	वाइन		5,000	1,00,000
6.	फोर्टिफाइड वाइन		10,000	लागू नहीं
7.	एल.ए.बी.		10,000	6,00,000

(ख) अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा की प्रत्येक धारिता की बोतल पर लगने वाले समस्त लेबिलों हेतु लेबिल अनुमोदन फीस उपर्युक्त दर से एकमुश्त ली जायेगी।

(ग) निर्यात की जाने वाली मदिरा के लेबिलों पर आयातक देश अथवा प्रदेश द्वारा निर्धारित लीजेण्ड, विवरण तथा चेतावनी आदि अंकित किये जाने की अनुमन्यता होगी परन्तु ब्राण्ड का नाम एवं उत्पादक इकाई का नाम व उत्तर प्रदेश एवं यथास्थिति भारत अथवा इण्डिया अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) देश के बाहर निर्यात की जाने वाली बोतलीकृत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा (यू.पी.एम.एल.), के लेबिलों पर आई.एम.एल. अथवा इण्डिया मेड लिकर अंकित किया जाना अनुमन्य होगा।

(ङ) आयातक देश अथवा प्रदेश द्वारा निर्धारित अल्कोहलिक तीव्रता, निर्यात की जाने वाली पेय मदिरा की बोतलों पर अंकित किया जाना अनुमन्य होगा।

(च) निर्यात की जाने वाली पेय मदिरा की अल्कोहलिक तीव्रता का निर्धारण निर्यातक इकाई द्वारा किये जाने की भी स्वतंत्रता होगी।

(छ) अनुमोदित लेबिलों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता होने पर संशोधित लेबिलों का पुन: अनुमोदन प्राप्त करना होगा। संशोधित लेबिलों के पुन: अनुमोदन हेतु लेबिल अनुमोदन फीस पुन: ली जायेगी परन्तु यदि संशोधन, आयातक प्रदेश /देश की सक्षम संस्था के निर्देशों के क्रम होगा तब लेबिल अनुमोदन फीस नहीं ली जायेगी।

(ज) निर्यात हेतु पंजीकृत ब्राण्डों की विभिन्न धारिताओं की ई.डी.पी. यथास्थिति आयातक देश अथवा प्रदेश द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

(झ) अन्य प्रदेशों, देशों को निर्यातित मदिरा की प्रत्येक धारिता की बोतल पर लगने वाले समस्त लेबिलों पर यथास्थिति " For export outside U.P." अथवा " For overseas export" बड़े एवं बोल्ड फांट में अंकित करना अनिवार्य होगा।

12. निर्यात की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस

(क) बोतल में भरी अनारक्षित शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा (यू.पी.एम.एल.), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन, एल.ए.बी.

और बीयर के देश के बाहर निर्यात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹6,000/- होगी।

(ख) राज्य सरकार की अनुमति से ग्रेन ई.एन.ए. के देश के बाहर निर्यात के मामलों में एक परमिट के अंतर्गत 50,000 बल्क लीटर तक के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है। इस निर्यात परमिट को प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आनलाइन आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस ₹50,000/- निर्धारित की जाती है।

(ग) बल्क स्प्रिट के निर्यात (राज्य के बाहर परन्तु देश के अंदर) की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹2,500/- होगी।

(घ) बोतल में भरी भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के देश के बाहर निर्यात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹6,000/- होगी।

12.1 प्रदेश में देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल./विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल.ए.बी. की आपूर्ति में कठिनाई के दृष्टिगत, यथावश्यकता आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश एवं देश के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

13. निर्यात हेतु हेरिटेज मदिरा का निर्माण, टेस्टिंग टैवर्न और फुटकर बिक्री

(1) भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं एल.ए.बी. के निर्यात हेतु पी.डी.-2 लाइसेंस प्राप्त परिसरों में संचालित एफ.एल.-3 और एफ.एल.-3ए अनुज्ञापनों को फलों के पल्प का, बिना किण्वन प्रक्रिया संपादित किये, प्रयोग कर भारतीय हेरिटेज मदिरा के निर्माण के अनुसंधान की अनुमति होगी। पी.डी.-2 लाइसेंस प्राप्त परिसरों में संचालित एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए द्वारा उत्पादित की जाने वाली भारतीय हेरिटेज मदिरा के ब्राण्ड का पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन, निर्यात की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भाँति कराया जायेगा। भारतीय हेरिटेज मदिरा को अपने परिसर में टेस्टिंग हेतु परोसने के लिये और अधिकतम 01 बोतल प्रतिब्राण्ड प्रतिव्यक्ति बिक्री के लिये टेस्टिंग टैवर्न संचालन हेतु एफ.एल.-7(टीडी)(ई) लाइसेंस प्रदान किया जायेगा। यह टेस्टिंग टैवर्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानक साज-सज्जा से परिपूर्ण और वातानुकूलित होना अनिवार्य होगा। उक्त टेस्टिंग टैवर्न में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक खान-पान की व्यवस्था किया जाना भी अनिवार्य होगा। उक्त टेस्टिंग टैवर्न में मात्र 750 एम.एल. की अधिकतम 50 बोतलों का उपभोग प्रतिमाह अनुमन्य होगा।

(2) भारतीय हेरिटेज मदिरा की प्रत्येक बोतल (750 एम.एल.) पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी पर अधिकतम आगणित प्रतिफल शुल्क आरोपित होगा।

(3) एफ.एल.-7(टीडी)(ई) लाइसेंस आबकारी आयुक्त के स्तर से स्वीकृत किया जायेगा। इस लाइसेंस की स्वीकृति प्रक्रिया, आवश्यक प्रपत्रों, हेरिटेज मदिरा प्राप्ति आदि की व्यवस्था का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(4) एफ.एल.-7(टीडी)(ई) आवेदन की प्रासेसिंग फीस ₹20,000/-, वार्षिक अथवा वर्ष के किसी भाग के लिये लाइसेंस फीस ₹1,00,000/-(रुपया एक लाख मात्र) तथा प्रतिभूति ₹50,000/-(रुपया 50 हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।

(5) एफ.एल.-7(टीडी)(ई) लाइसेंस की नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी।

14. अन्य

14.1 भांग की निर्यात फीसः-

भांग की अन्य प्रांतों हेतु निर्यात फीस को ₹ 30/- प्रति किलोग्राम रखा जाता है। प्रतिबंध यह होगा कि भांग का निर्यात अन्य देशों को अनुमन्य न होगा और भांग पर निर्यात फीस का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

14.2 भारत सरकार के प्रतिबंधों के अधीन निर्यात की जाने वाली बोतलीकृत मदिरा/बीयर/वाइन/एल.ए.बी. की तीव्रता, धारिता, कार्टन साइज का निर्धारण निर्यातक इकाई द्वारा ही किये जाने की अनुमन्यता होगी।

15. उपरोक्त प्रस्तरों के अंतर्गत विभिन्न मदों हेतु निर्धारित समस्त दरों के समय-समय पर यथावश्यकता पुनरीक्षण का सर्वाधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित होगा।

16. (1) निर्यातक इकाई द्वारा देश के बाहर निर्यात हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/अनुदेशों के पालन किया जाना होगा और इस हेतु आवश्यक औपचारिकतायें भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुमन्य पूर्ण की जानी होगीं।

(2) निर्यात संवर्धन हेतु आबकारी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देय नहीं होगी। देश के बाहर मदिरा निर्यात किया जाना निर्यातक इकाई के स्वयं के जोखिम पर आधारित होगा।

(3) किसी भी प्रकार की छूट का दुरुपयोग पाये जाने पर आसवनी का लाइसेंस निरस्त किये जाने व प्राप्त छूट के बराबर राजस्व की वसूली की जायेगी।

17. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जो संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम, नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन, विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उनका यथा प्रक्रिया समायन्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं आदि का संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी) में शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रतर कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराये जाने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर लें ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

भवदीय,

(अभिषेक आनंद)
विशेष सचिव।